राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)
(E mail : DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN)

क्रमांक एफ 61 (217) PS/SSAAT/2023/ दिनांक यथा ई हस्ताक्षर

दिनांक 09.09.2025 को आयोजित विडियो कॉन्फ्रेंसिंग मिटिंग का कार्यवाही विवरण

निदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) की अध्यक्षता में दिनांक 09.09.2025 को प्रातः 11.00 बजे कमेटी कक्ष–2, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर में अंकेक्षण कार्यो की समीक्षा के संबंध में विडियो कॉन्फेन्स मिटिंग का आयोजन किया गया। उक्त मिटिंग में परियोजना अधिकारी (लेखा) (नोडल अधिकारी सामाजिक अंकेक्षण) जिला परिषद समस्त, जिला संसाधन व्यक्ति समस्त जिला स्तर पर डीओआईटी के जिला स्तरीय जन सुनवाई केन्द्र से एवं ब्लॉक संसाधन व्यक्ति समस्त ब्लॉक स्तर पर अटल सेवा केन्द्र से विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मिटिंग में उपस्थित रहे।

बैठक की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए निदेशक महोदय द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया तथा बताया कि दिनांक 18 जुलाई,2025 को निदेशक के पद पर ज्वाइन किया है। भारत सरकार की दिशा निर्देशों की पालना में राज्य सरकार की ओर से सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पादर्शिता सोसायटी का गठन किया गया हैं। महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत किये जाने वाले कार्यो का सोसायटी की ओर से जारी सामाजिक अंकेक्षण कलेण्डर के अनुसार ब्लॉक संसाधन व्यक्ति व ग्राम संसाधन व्यक्ति द्वारा किया जाता हैं। इसके अलावा अन्य योजनाओं का भी समय समय पर सामाजिक अंकेक्षण सोसायटी की ओर करवाया जाता हैं। जिसके बारे में आपको अवगत कराया जाता रहा है।

बैठक में विडियो कॉन्फ्रेस के माध्यम से जिलेवार विचार विमर्श किया गया –

1. **सर्व प्रथम VC में अजमेर जिले** के परियोजना अधिकारी (लेखा) एवं 2 डीआरपी जुडे। परियोजना अधिकारी (लेखा) ने बताया कि सामाजिक अंकेक्षण दल को तकनीकी जानकारी नहीं होने के कारण तथ्यात्मक रिपोर्ट नहीं बनाई जाती है। कार्य में गुणवत्ता प्रतीत नहीं होती है, जेसीबी से कार्य कराया गया है, कार्य अधूरा है– ऐसा रिपोर्ट में दर्शाया जाकर रिकवरी राशि निकाल दी जाती है। परन्तु रिपोर्ट में दर्शाई गई राशि की वसूली नहीं हो पाती है। क्योंकि जिला स्तरीय जॉच कमेटी द्वारा कार्य का भौतिक सत्यापन किए जाने पर कार्य की गुणवत्ता सही पाई जाती है एवं रिपोर्ट में दर्शाये गये आक्षेप को निरस्त कर दिया जाता है। इसलिए बीआरवी/वीआरपी को ट्रेनिंग दिये जाने की आवश्यकता जताई है तथा सामाजिक अंकेक्षण दल के साथ नजदीकी पंचायत समिति से नाम के साथ तकनीकी सहायक को लगाये जाने का सुझाव दिया जिससे तथ्यात्मक एवं ठोस रिपोर्ट बन पावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Verma
Designation : Chief Accounts Officer
Date: 2025.09.16 14:31:15 IST
Reason: Approved
RajKaj Ref No.: 17795771
eSign 1.0

2. नागौर– परियोजना अधिकारी ने बताया कि जिले में कार्यरत जिला संसाधन व्यक्तियों द्वारा अवकाश पर रहने की सूचना उनको नहीं दी जाती है और बताया गया कि हमारे अवकाश राज्य संसाधन व्यक्ति द्वारा स्वीकृत किये जाते है।

परियोजना अधिकारी लेखा ने बताया की ग्राम सभा में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं दर्शाई जाती है। BRP श्रीमती खुशबू प्रजापत एवं अन्य पर शिकायत करने के बाद भी कार्यवाही नहीं की गई है।

लोकपाल के लम्बित यात्रा बिल के भुगतान के बारे में मार्ग दर्शन चाहा गया ।

निष्क्रिय बीआरपी/वीआरपी को सामाजिक अंकेक्षण कार्य में नहीं लगाया जावें।

पूर्व में मनरेगा के साथ अन्य योजनाओं के स्वच्छ भारत मिशन, पन्द्रहवा वित्त आयोग, प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण, मिड–डे–मील का 2021–22 से 2022–23 तक बीआरपी/वीआरपी के बकाया मानदेय का भुगतान दिलवाया जावें।

यह समस्या लगभग सभी जिलो से संबंधित है।

3. बांरा– जिला संसाधन व्यक्ति द्वारा बताया गया कि जिला परिषद में बैठने की व्यवस्था नहीं है।

4.भीलवाडा– परियोजना अधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में कार्यरत जिला संसाधन व्यक्तियों द्वारा पर्यवेक्षण के संबंधित एवं ग्राम पंचायतो की सामाजिक अंकेक्षण की रिपोर्ट अपलोड एवं अन्य अनियमितताओं की सूचना नहीं दी जाती है और ना ही परियोजना अधिकारी के निर्देशन में कार्य सम्पादित किया जाता है। उनके द्वारा बताया गया कि हम तो राज्य संसाधन व्यक्ति को रिपोर्ट करते है।

बीआरपी भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्र में मानदेय भुगतान का उल्लेख नहीं होने की समस्या बताई।

बीआरपी भर्ती प्रक्रिया में आरटीपीपी एक्ट से संवेदक के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया में आवेदन लिये जाने का पत्र मुख्यालय से प्राप्त हुआ था जिसके संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया।

5.अलवर – परियोजना अधिकारी (लेखा) ने पूर्व लोकपाल के लम्बित यात्रा बिलो का भुगतान का इश्यू बताया गया।

6.बीकानेर– वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 की अनुपालना भेज दी गई है, राज्य स्तर से निर्णय लम्बित है।
समग्र शिक्षा प्रशिक्षण का भुगतान बकाया है।
पन्द्रहवॉ वित्त आयोग का जिला स्तर से राशि मुख्यालय को भेज दी गई है परन्तु अभी तक भुगतान नहीं किया गया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Verma
Designation : Chief Accounts Officer
Date: 2025.09.16 14:31:15 IST
Reason: Approved

7.सीकर – जिला संसाधन व्यक्ति द्वारा बताया गया कि फरवरी व मार्च, 2024 का बीआरपी का भुगतान बकाया है।

8.श्रीगंगानगर – परियोजना अधिकारी द्वारा बताया गया कि वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 की अनुपालना भेजी हुई है। वीआरपी के लम्बित भुगतान की सूचना मुख्यालय को भिजवाई जा चुकी है।

9.बाडमेर –परियोजना अधिकारी लेखा उपलब्ध नहीं थे, कनिष्ठ लेखाकार ने बताया कोई इश्यू नही है।

10.भरतपुर– जिला संसाधन व्यक्ति द्वारा बताया गया कि माह सितम्बर, 2024 के मानदेय का भुगतान बकाया है।

11.बूंदी– जिला संसाधन व्यक्ति द्वारा बताया गया कि बीआरपी/वीआरपी की भर्ती जिला परिषद स्तर पर आवेदन प्राप्त कर लिये गये है। आगे की कार्यवाही नहीं की जा रही है।

12.पाली– परियोजना अधिकारी द्वारा बताया गया कि जिला संसाधन व्यक्तियों की कमी है। दो जिला संसाधन व्यक्ति और लगाये जावें।

13.चित्तोडगढ– 2021–22, 2022–23, 2023–24 का BRP/VRP का मानदेय का भुगतान बकाया है।

14.चुरू – अनियमिताओं की अनुपालना से संबंधित कार्यवाही नहीं हुई है।

15.डूंगरपुर – जिला संसाधन व्यक्ति के तीनों पद रिक्त है।

16.जयपुर – परियोजना अधिकारी ने बताया कि बीआरपी भर्ती के एक वर्ष पूर्व आवेदन प्राप्त हो चुके है। लेकिन आगे की कार्यवाही नहीं हुई है।

17.जोधपुर – रिपोर्ट अपलोड के समय अनियमितता स्टेट लेवल पर फोरवर्ड हो गई है, जो अनुपालना के लिए वापिस भिजवाई जानी है। अन्य कोई इश्यू नहीं है।

18.कोटा– बीआरपी/वीआरपी के मानदेय का भुगतान की पूर्ण सूचना नहीं है। ट्रेनिंग का भुगतान बकाया है।

19.करौली – कार्यालय रिकार्ड रखने का स्थान नहीं है।

20.सिरोही – बीआरपी भर्ती की अधिसूचना जारी की जानी है।

शेष जिले बांसवाडा, दौसा, धोलपुर, हनुमानगढ, जैसलमेर, जालौर, झालावाड, झुंझुनु, प्रतापगढ, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, टोंक एवं उदयपुर कोई विशेष समस्या नहीं बताई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Verma
Designation : Chief Accounts Officer
Date: 2025.09.16 14:31:15 IST
Reason: Approved

उपरोक्त समस्याओं के बारे में चर्चा कर निदेशक महोदय द्वारा सभी जिलो के परियोजना अधिकारी,(लेखा), जिला संसाधन व्यक्ति एवं ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों को निम्न सुझाव व निर्देश दिये –

1. अक्टूबर, 2025 से जारी किये जाने वाले सामाजिक अंकेक्षण कलैण्डर 15 दिवस पूर्व जारी किया जावेगा। सभी जिला परिषदों के परियोजना अधिकारी (लेखा) को निर्देश दिये गये कि सामाजिक अंकेक्षण दल को सम्बन्धित ग्राम पंचायत का आवश्यक रिकार्ड उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। सामाजिक अंकेक्षण दल में से जो BRP/VRP अंकेक्षण के लिए लगातार तीन सामाजिक अंकेक्षण कार्य में अनुपस्थित रहते है। उनकी आगामी अंकेक्षण कार्य में ड्यूटी नहीं लगाई जावे। सामाजिक अंकेक्षण कलैण्डर में जो BRP/VRP नियमित रूप से कार्य कर रहे है उनकी ही ड्यूटी लगाई जावेगी।
2. सामाजिक अंकेक्षण कलैण्डर में संबंधित ग्राम पंचायत के सामाजिक अंकेक्षण में पंचायत समिति से नजदीकी ग्राम पंचायत के कनिष्ठ तकनीकी सहायक (JTA) की ड्यूटी सामाजिक अंकेक्षण दल का सहयोग करने हेतु बिन्दु सम्मिलित किया जावें।
3. सामाजिक अंकेक्षण कलैण्डर के अनुसार अंकेक्षण दल के सभी BRP/VRP ग्राम पंचायत में 5 दिन तक कार्यालय समय अनुसार उपस्थित होकर अंकेक्षण कार्य करेगें तथा अंकेक्षण रिपोर्ट में किये गये प्रत्येक कार्य के तथ्यों का स्पष्ट उल्लेख करेगें।
4. ग्राम पंचायतो में चल रहे अंकेक्षण कार्य का औचक निरीक्षण करने हेतु मुख्यालय स्तर से व जिला स्तर से टीम बनाई जावेगी या जिला संसाधन व्यक्ति को निर्देश दिये जावेगें की औचक निरीक्षण कर तथ्यात्मक रिपोर्ट बनावें जिसमें गंभीर अनियमितता, मौके पर काम हुआ या नही? JCB मशीन चली है क्या ? नाडी का निर्माण पूरा हुआ या अधूरा है? प्रधानमंत्री आवास योजना व अन्य योजना के कार्यो का स्पष्ट रूप (जियो टैग फोटो सहित)से उल्लेख करेंगें तथा रिपोर्ट को विचार विमर्श हेतु ग्राम सभा में प्रस्तुत करेगें। ग्राम सभा में की गई कार्यवाही के साथ अपनी रिपोर्ट 3 दिवस में मुख्यालय को भिजवायेगे
5. ग्राम सभा आयोजन का व्यापक प्रचार प्रसार करने, ग्राम सभा आयोजन की सूचना ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने, ग्राम सभा आयोजन के बारे में योजनाओं के लाभार्थी को आवश्यक रूप से अवगत कराने की कार्यवाही करें। ग्राम वासियों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में ग्राम सभा में आने के लिए प्रोत्साहित करें एवं सभी लागो के` हस्ताक्षर कराये जावें।
6. जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलेक्टर को ग्राम सभा में किसी भी राजपत्रित अधिकारी को स्वतंत्र पर्यवेक्षक नियुक्त किये जाने हेतु पत्र लिखा जायेगा। सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट पर टीम के साथ स्वतंत्र पर्यवेक्षक/ ग्राम सभा प्रभारी के भी हस्ताक्षर कराये जावेगें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Verma
Designation : Chief Accounts Officer
Date: 2025.09.16 14:31:15 IST
Reason: Approved

7. सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट की एक प्रति परियोजना अधिकारी (लेखा) जिला परिषद को भी दी जावें।
8. माह अक्टुबर,2025 से जारी कलैण्डर का सामाजिक अंकेक्षण पंचायत निर्णय एप के माध्यम से ही किया जावेगा। इसके लिए DRP/BRP को ट्रेनिंग दी जावे।
9. सामाजिक अंकेक्षण के दौरान पाई गई वित्तीय अनियमितता की रिपोर्ट अपलोड कर दी गई उनकी ATR रिपोर्ट सोसायटी कार्यालय में शीघ्र भिजवायें।
10. परियोजना अधिकारी को निर्देश दिये गये कि जिला संसाधन व्यक्ति को कार्यालय में बैठने एवं कार्य करने की समुचित व्यवस्था प्रदान करें।
11. सभी जिलो से बकाया भुगतान की स्थिति की सूचना मांगी जा रही है। जिन जिलो से BRP/VRP का बैंक खाता संख्या, IFSC कोड एवं आधार नंबर सहित सूचना प्राप्त हो गई है, उनका बकाया भुगतान 20 सितम्बर,2025 तक किये जाने के प्रयास किये जायेगें। जिन जिलो से सूचना प्राप्त नहीं हुई है, उनको सूचना भिजवाने हेतु लिखा जावेगा।
12. अन्य किसी प्रकार के बकाया बिलो के भुगतान हेतु मुख्यलेखाधिकारी, SSAAT से सम्पर्क करने के निर्देश दिये गयें ।
13. जिस भी ग्राम पंचायत द्वारा रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया जाता उसकी सूचना तुरंत मुख्यालय को दी जावे।
14. मुख्यालय से जारी सामाजिक अंकेक्षण कलैण्डर में लगाये गये संसाधन व्यक्तियों द्वारा ही सामाजिक अंकेक्षण कराया जायेगा।
15. जिला संसाधन व्यक्तियों को फील्ड में पर्यवेक्षण के लिए मुख्यालय से आदेश जारी किए जायेगें। बिना कार्यालय आदेश अथवा निर्देशों के नहीं जायेगा।
16. अंकेक्षण दल द्वारा ग्राम सभा में प्रस्तुत सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट पर चर्चा की जावें एवं साक्ष्य सहित तथ्यात्मक रिपोर्ट बनाई जावें।
17. जिला संसाधन व्यक्तियों को जिला परिषद कार्यालय में बैठने एवं अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने हेतु समस्त परियोजना अधिकारी लेखा को निर्देशित किया गया एवं मुख्यालय से मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त को पत्र लिखे जाने हेतु आदेश दिये।
18. सभी राज्य संसाधन व्यक्तियों को आवंटित योजनाओं के लम्बित भुगतान को 20 सितम्बर,2025 तक किये जाने के निर्देश दिये गये।
19. बीआरपी भर्ती को पूरी करने के लिए सभी जिला कलेक्टर को डीओ लेटर लिखने का निर्देश दिया गया।
20. जिला संसाधन व्यक्ति अपनी कार्य रिपोर्ट एवं अवकाश पर रहने की सूचना लिखित में परियोजना अधिकारी को भी प्रस्तुत करेगा।
21. मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा ली जाने वाली बैठक में जिला संसाधन व्यक्ति सामाजिक अंकेक्षण से संबंधित रिपोर्टो एवं अन्य मुद्दो को प्रस्तुत करेगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Verma
Designation : Chief Accounts Officer
Date: 2025.09.16 14:31:15 IST
Reason: Approved

22. जिला संसाधन व्यक्ति द्वारा सामाजिक अंकेक्षण उपरांत नियत समयावधि 7 दिवस में नरेगा सोफ्ट पर रिपोर्ट अपलोड करना सुनिश्चित करेगा।
23. नरेगा सोफ्ट पर दर्शाये गये रिपोर्ट अनुसार 15 दिवस में ATR अपलोड करवाये जाने हेतु परियोजना अधिकारी के ध्यान में लायेगा एवं सभी पंचायत समिति के विकास अधिकारी को ATR अपलोड समय पर करने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र लिखे जाने की कार्यवाही करवायेगा।
24. सभी जिला संसाधन व्यक्तियों को कार्यालय समय में जिला परिषद में उपस्थित रहकर कार्य सम्पादन करने के निर्देश दिये। मुख्यालय के बिना पूर्व सूचना के अवकाश पर नहीं जावें।
25. जिला संसाधन व्यक्तियों को निर्देशित किया कि सामाजिक अंकेक्षण की मूल भावना के साथ सामाजिक अंकेक्षण का कार्य पूर्ण पारदर्शिता के साथ किये जाने एवं किसी भी प्रकार की कोई सांठ–गॉठ/मिलीभगत नहीं करें। कोई भी इस तरह की गतिविधियों में लिप्त होता है अथवा इस प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जावेगी।

अन्त में धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

(रतन लाल वर्मा)
मुख्य लेखाधिकारी

क्रमांक एफ 61 (217) PS/SSAAT/2023/ दिनांक यथा ई हस्ताक्षर

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रा.वि एवं पं.रा.विभाग,राजस्थान शासन सचिवालय जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
3. निजी सचिव, जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलेक्टर, समस्त
4. निजी सचिव, निदेशक, SSAAT
5. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त
6. मुख्य लेखाधिकारी, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)
7. परियोजना अधिकारी (लेखा) जिला परिषद, समस्त
8. प्रोग्रामर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
9. सामाजिक विकास विशेषज्ञ,

10 समस्त जिला/राज्य संसाधन व्यक्ति
11 समस्त OIC
12 समस्त ब्लॉक संसाधन व्यक्ति
13 रक्षित पत्रावली

(रतन लाल वर्मा)
मुख्य लेखाधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Verma
Designation : Chief Accounts Officer
Date: 2025.09.16 14:31:15 IST
Reason: Approved

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Verma
Designation : Chief Accounts Officer
Date: 2025.09.16 14:31:15 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
17795771

eSign 1.0